

रोटी, कपड़ा, मकान और डाटा...?

माही की गूंज, संजय भटेवरा

पहले आदमी की तीन मूलभूत आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा और मकान और आम आदमी इन तीनों को ही कमाने में लगा रहता था। कई लोगों का पूरा जीवन ही इन तीनों में खूफ जाता था और वे इससे आगे कुछ सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया आदमी की आवश्यकता भी बढ़ती गई। हालांकि आवश्यकता होती है और आम इंसान को कितना भी मिल जाए उसे कम ही लगता है और इसीलिए इसे निरन्याने का फेर कहा गया है।

आदमी जीवन भर निरन्याने को 100 करने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन वर्तमान युग में तीन मूलभूत आवश्यकता में एक और आवश्यकता बढ़कर चार हो गई है रोटी, कपड़ा, मकान के साथ उसमें डाटा भी जुड़ गया है। हाल ही में दूरसंचार कंपनियों ने अपने कॉलिंग और डाटा टैरिफ में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करके आम इंसान की रोजमर्रा जिंदगी पर तगड़ा प्रहार किया है। क्योंकि आज मोबाइल फोन आम इंसान की जिंदगी की जरूरत का महत्वपूर्ण साधन बन गया है लेकिन दूरसंचार कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा है।

ये निजी कंपनियां अपने मन माफिक टैरिफ बनाकर डाटा के नाम पर कॉलिंग के पैसों में भी बेहताशा वृद्धि कर आम आदमी की जेब पर सीधा प्रहार कर रही है।



चुनाव के पश्चात ही निर्णय क्यों...?

दूरसंचार कंपनियों द्वारा दाम बढ़ाने के निर्णय के टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें तत्काल पश्चात

इस प्रकार इतने अधिक रेट बढ़ाना आम नागरिकों को आक्रोशित कर रहा है। सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मिम्स के माध्यम से उपभोक्ता अपना दर्द बर्बाद कर रहा है। कोई इसे सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों को आम आदमी को लूटने की खुली छूट बता रहा है, आम लोगों

का कहना है कि, सरकार निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनी बंद कर निजी कंपनियों को बढ़ावा देकर निजीकरण के माध्यम से जनता को लूटने में लगी है।

एक तरफ देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उसी देश में दूरसंचार कंपनियों प्रति उपभोक्ताओं से लगभग 300 रुपये महीने डाटा के नाम पर वसूली कर रही है। आज के युग में मोबाइल के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है ऐसे में 80 करोड़ लोग जो सरकारी मुफ्त राशन पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं उनके लिए 300 रुपये महीने का रिचार्ज करवाना भारी भरकम नजर आ रहा है। वहीं अगर परिवार में दो या तीन सदस्य के पास मोबाइल है तो यह खर्च और भारी पड़ रहा है। आम लोगों का कहना है कि, मोबाइल कंपनियां 4जी और 5जी के नाम पर खुली लूट मचाने में लगी है ऐसे में उन पर शासकीय नियंत्रण आवश्यक है। यही नहीं सरकार को चाहिए कि वो डाटा और कॉलिंग टैरिफ को अलग-अलग कर अपना टैरिफ प्लान जारी करें जिससे अगर व्यक्ति डाटा का उपयोग नहीं करना चाहता तो वो केवल कॉलिंग टैरिफ लेकर केवल बात करने के लिए मोबाइल का उपयोग कर सके। पहले इन निजी कंपनियों ने कम दर और फ्री में डाटा देकर आम लोगों को इसका आदी बना दिया और अब मनमाने तरीके से अपने प्लान के रेट बढ़ा रहे हैं।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने थांदला शहर की तीन उचित मूल्य दुकानों का किया निरीक्षण

अनियमितता पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर नेहा मीना के आदेशानुसार ए व अनुविभागीय अधिकारी



राजस्व थांदला तरुण जैन ने थांदला शहर की तीन उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया। उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान शहरी क्रमांक 2 और शहरी 03 में व्यवस्था एवं वितरण ई केवाईसी का कार्य संतोषप्रद पाया तो वहीं विपणन सहकारी संस्था थांदला द्वारा संचालित शहरी क्रमांक 3 पर ई केवाईसी कम होने एवं दुकान पर स्टॉक में अत्यधिक अंतर होने से विक्रेता जगदीश वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान छोटा जुलवानिया, बड़ा जुलवानिया, पलाशडोर, पांचखेरिया, काकनवानी का निरीक्षण भी किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के काकनवानी

दुकान पर स्टॉक अंतर होने से विक्रेता जय नारायण शाक्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी की जा रहा है। एसडीएम ने दुकान



आवश्यक साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने की सख्त हिदायत संचालनकर्ता समिति के प्रबंधक एवं सेल्समैन को दी है।

बंद हुआ पिटोल आरटीओ चेक पोस्ट, बिना रोकटोक होगा आवागमन

सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतों पर हुआ बदलाव

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश - गुजरात की सीमा पर बने पिटोल चेक पोस्ट पर रविवार तक जहां वाहनों का जमघट लग रहा था, वहीं अब सोमवार से इस पर सनाटा पसरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। आवागमन तो सामान्य दिनों की तरह ही चालू है लेकिन चेक पोस्ट पर अब रोकटोक बंद हो चुकी है और वाहन सरपट दौड़ते यहां से निकल रहे हैं। हालांकि चेक पोस्ट परिसर की सुरक्षा को देखते हुए यहां कुछ जवानों की तैनाती की गई है।

दरअसल शासन ने 1 जलाई से प्रदेश के सभी चेकपोस्ट बंद करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद से ही पिटोल स्थित इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट से भी सारे बैरियर और कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इस स्थिति के बाद से ही मध्यप्रदेश से गुजरात और गुजरात से मध्यप्रदेश में आने-जाने वाले सारे वाहन बिना किसी रोकटोक के गुजर रहे हैं। अब वाहन चालकों को चेकपोस्ट से गुजरने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ रहा है।

पिटोल स्थित इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट से हर दिन हजारों वाहन निकलते हैं। इन वाहनों से शासन को राजस्व के रूप में प्रति माह लगभग एक करोड़ रुपये का राजस्व मिलता रहा है। यह राजस्व टैक्स और दंड के रूप में वसूला जाता रहा है। इस हिसाब से इस इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का सालाना राजस्व वसूली का आंकड़ा लगभग 12 करोड़ के आसपास पहुंच जाता था। चेक पोस्ट बंद होने के बाद अब शासन को मिलने वाले राजस्व में एक बड़ा झटका भी लग सकता है।

हालांकि चेकपोस्ट बंद होने से कई धंधेबाजों को इसका नुकसान हुआ है तो वहीं कई माफियाओं को इससे सीधे तौर पर लाभ मिलता नजर आ रहा है। चेकपोस्ट बंद होने से कई धंधेबाजों और चटरगुले नेताओं को तगड़ा झटका लगा है। ये धंधेबाज जोड़-जुगाड़ कर ओवर लोड और अवैध ट्रकों को चेक पोस्ट से पार करवाते थे। जिसके बदले वाहन मालिकों

से निर्धारित राशि वसूली जाती थी। इस धंधे में क्षेत्र के कई लोग शामिल थे जो पिटोल चेकपोस्ट पर कुकुरमुत्तों की तरह नजर आते थे। लेकिन चेकपोस्ट बंद होने से इनकी दुकानदारी का सुपुड़ा साफ हो गया है। इसके अलावा चेकपोस्ट बंद होने का सीधा फायदा भी बड़े अवैध धंधेबाजों को होता दिखाई दे रहा है। चूंकि यह चेकपोस्ट मध्यप्रदेश-गुजरात की सीमा पर है तो अवैध धंधेबाज के लिए यह चेकपोस्ट पहले सरदर्द बना हुआ था। अवैध धंधेबाज और माफिया इस चेक पोस्ट से ना गुजर कर बार्डर पर बसे छोटे गांवों से प्रधानमंत्री सड़क का सहारा लेते हुए अपने अवैध धंधे करते थे, लेकिन अब पिटोल स्थित इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बंद हो चुका है। इसका सीधा फायदा माफियाओं को मिलेगा। क्योंकि अब बिना किसी रोकटोक के मुख्य मार्ग से ही ये माफिया अपना अवैध धंधा अंजाम दे सकेंगे।

गौरतलब हो कि पश्चिमी मध्यप्रदेश के छोर पर बसे आदिवासी बाहुल जिले में सबसे बड़ा अवैध धंधा शराब का है और शराब माफिया लगातार शराब की अवैध तस्करी गुजरात के लिए करते रहे हैं। जिले की शराब दुकानों के टैंडर माफियाओं द्वारा अरबों रूपयों में लिए जाते हैं। जबकि यह अरबों रूपयों की शराब जिले में नहीं खपाई जाती अपितु

पड़ोसी राज्य गुजरात में अवैध रूप से पहुंचाई जाती है। इसीलिए जिले की बार्डर पर स्थित शराब दुकानों के टैंडर करोड़ों अरबों रूपयों में जाते हैं और शराब माफिया अवैध तरीके से करोड़ों की शराब तस्करी बार्डर क्रॉस कर पड़ोसी राज्य गुजरात में करते हैं। हालांकि पहले चेकपोस्ट चालू रहते माफिया इस रास्ते को नजर अंदाज कर ग्रामीण सड़कों से गुजरात में प्रवेश कर अवैध शराब पहुंचाते थे, लेकिन अब चूंकि पिटोल चेकपोस्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है तो माफियाओं के लिए भी यह मुख्य मार्ग अवैध धंधों के लिए खुल चुका है। जिसके चलते शराब माफियाओं के साथ ही अन्य अवैध धंधेबाजों और माफियाओं के भी वारे-न्यारे होते दिखाई दे रहे हैं।

क्या अवैध धंधेबाजों के भी हो गए वारे-न्यारे...?



हालांकि चेकपोस्ट बंद करने के बाद सरकार नई

कार्यप्रणाली के साथ काम करने के मुद्दे में दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार की यह नई कार्यप्रणाली कितनी कामयाब होगी यह समय के गत में है। अब तमाम परिवहन अधिकारी चेक पाइंट बनाकर वाहनों की चेकिंग करेंगे, लेकिन इस योजना को लेकर अभी तक कोई खुलासा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। एक सवाल यह भी है कि जिन अवैध वसूली की शिकायतों को लेकर प्रदेश के चेकपोस्ट बंद किए

गए क्या अब उस तरह की वसूली नहीं हो पाएगी...? यह प्रश्न हर किसी के मन में हिलौरे मार रहा है। क्योंकि चेकिंग चाहे जैसी हो करेगा तो परिवहन विभाग और उसके वही पुराने बागडू बिल्ले। तो इस बात में कोई शंका नहीं है कि चेकपोस्ट बंद होने के बाद विभाग में बैठे बागडू बिल्ले अवैध वसूली बंद कर देंगे। इसका मतलब सीधे तौर पर यह निकाला जा सकता है कि सरकार ने नए झोले में पुराना सामान ही जनता को वापस दे दिया है। मतलब चेकपोस्ट से होने वाली अवैध वसूली चेकपोस्ट पर ना होकर कहीं और होगी, मगर होगी जरूर...?

हालांकि मध्यप्रदेश शासन के इस आदेश के बाद विभाग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अभी सरकार ने महज चेकपोस्ट बंद करने के आदेश जारी किए हैं, आगे क्या

करना है यह अभी तक विभाग को भी पता नहीं है। अब विभागीय अधिकारी इस इंतजार में हैं कि आगे शासन जैसा निर्णय लेगा और वरिष्ठ अधिकारी जैसे आदेश देंगे वैसे तूती हम बजाएंगे।

जो भी हो लेकिन सरकार के इस फैसले से आम माल वाहक वाहन चालक खुशी से झूम उठे हैं। सरकार के इस फैसले ने आम वाहन चालकों की कई गंभीर समस्याओं को समाप्त कर दिया है। जिससे अब वाहन चालकों को लंबी कतार, लंबे इंतजार और चेकपोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली से तो फिलहाल राहत मिल ही गई है। इधर ट्रांसपोर्टों का मानना है कि इस निर्णय से प्रदेश को व्यावसायिक रूप से लाभ मिलेगा। पहले वाहन मालिक और चालक दोनों ही प्रदेश की सीमा पार करने में संकोच करते दिखाई देते थे। उनके साथ कई तरह की समस्याएं होती थी। गुजरात से मध्यप्रदेश में आने और मध्यप्रदेश से गुजरात जाने के लिए वाहन मालिकों और चालकों को कई तरह का भय बना रहता था। जिसमें बार्डर पर लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार करना, वाहन के कागजात में कमी के कारण अवैध वसूली का डर और कागजात पूरे होने की सूत्र में भी हजारों रूपये इट्टी के रूप में देना वाहन चालकों को भारी लगता था। यही कारण था कि वाहन चालक बार्डर क्रॉस करने में संकोच करते थे और

अन्य प्रदेशों के मिलने वाले भाड़े को नजर अंदाज करते थे। लेकिन अब पिटोल चेक पोस्ट के साथ ही प्रदेश की तमाम चेकपोस्ट मप्र शासन द्वारा बंद कर दी गई है। जिससे अब वाहन चालकों को अन्य प्रदेश में जाने हेतु संकोच नहीं करना पड़ेगा।

चेकपोस्ट बंद होने के बाद प्रदेश में अब सभी जांच चौकियों की जगह रोड सेफ्टी एंड इंफोसमेंट चेकिंग पाइंट बनाए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों के रूप में होमगार्ड की नियुक्तियां की जाएंगीं। ओवरलॉडिंग चेक करने हेतु मोबाइल वेडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। विभागीय स्टाफ को बाँड़ी वॉन कैमरे दिए जाएंगे, जिसमें हर गतिविधि रिकार्ड होगी।

